

an>

Title: Introduction of the Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and to amend the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी, आपको बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। आप बोलिए, हल्ला मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, आप अपनी बात सदन में रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. साहब, आप अपनी बात सदन में रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PRALHAD JOSHI: I introduce the Bill.